

भारतीय टेक्सटाईल पेपर ट्यूबी कंपनी लिमिटेड

बनाम

कलेक्टर ऑफ कस्टम, मद्रास.

04 मई 1990.

[सब्यसाची मुखर्जी, सीजे, पी.बी. सावंत और एम.एम. पुंछी, जे.जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 रू धारा 28 (1)(3) और 131(1)(3)

(5)- केन्द्र सरकार द्वारा शुल्क की गलत वापसी के आदेश को संशोधित करने के लिए स्वतः संज्ञान- परिसीमा की अवधि - क्या है?

केवल रिफंड देने के आदेश वास्तविक रिफंड नहीं है-वास्तविक रिफंड की तारीख से परिसीमा का चलना।

अपीलार्थी ने टॉप लाईन ट्यूब वाइन्डर एंडलैस बेल्ट का आयात किया। जिसका सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की मद 16 ए(4) के तहत 40 प्रतिशत की दर से 40.05/16(3) के तहत शुल्क और 25 प्रतिशत की दर से प्रतिकारी शुल्क के रूप में मूल्यांकन किया गया था।

इसके पश्चात अपीलार्थी ने अधिक लगाए गए प्रभारित शुल्क के रिफंड के लिए यह तर्क देते हुए आवेदन किया कि माल वास्तव में बिना प्रतिकारी शुल्क के, 59.16/17 शीर्षक के तहत वर्गीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी था।

सहायक कलेक्टर ने दिनांक 12/10/1979 को पारित अपने आदेश द्वारा क्लेम को खारिज कर दिया और अपीलार्थी ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 128 के तहत अपीलीय कलेक्टर के समक्ष अपील की जिन्होंने अपील स्वीकार करते हुए यह मत दिया कि माल को शीर्ष 59.16/17 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता था।

हालांकि सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 21/11/1981 को अपीलार्थी को अंतर्गत धारा 131(3) के तहत यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि माल को हैड 39.07 के तहत क्यों वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर मूल्य अनुसार 100 प्रतिशत शुल्क लगता है और यह भी कि अपीलीय कलेक्टर द्वारा 02/05/1981 को पारित किया गया आदेश क्यों नहीं निरस्त किया जाना चाहिए।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध अपीलार्थी ने सीमा शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण (अपीलीय) न्यायाधिकरण में अपील की तथा यह तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (5) सपठित धारा 28 के तहत परिसीमा से बाधित था, जो कि लघु लेवी की तारीख से छह महीने एवं किसी भी अन्य मामले में अपीलीय आदेश की तारीख से छह माह की थी।

न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए अपील को खारिज किया कि नोटिस समयावधि में था तथा हैड 39.07 के तहत प्रस्तावित मूल्यांकन उचित था एवं अपीलीय कलेक्टर के आदेश को अपास्त कर दिया।

इस न्यायालय में की गई अपील में विचार किए जाने योग्य प्रश्न था: क्या केन्द्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 131 के तहत स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसीमा की सीमा का उल्लंघन किया है।

इस न्यायालय ने अपील को 2:1 के बहुमत से खारिज किया।

अभिनिर्धारित किया- (सब्यसाची मुखर्जी, सीजे, पी.बी. सावंत, जे-पेरसावंत, जे.)

1. धारा 131(5) के प्रावधान व अधिनियम की धारा 28 में विहित की गई परिसीमा धारा 131(3) के तहत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर लागू नहीं होती। (103 डी)

जीप फ्लेशलाईट इंडस्ट्रीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1977) 1 एससीआर 983.

2. यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 28 में विहित की गई परिसीमा धारा 131(3) के तहत कार्यवाही शुरू किए जाने पर लागू होती है, क्योंकि इस मामले में अपीलीय आदेश में अपीलकर्ता को रिफंड किए जाने का हकदार घोषित करते हुए अपील की अनुमति दी है और

अभी तक कोई रिफंड नहीं किया गया है एवं धारा 131(3) के तहत सरकार की कार्यवाही स्पष्ट रूप से परिसीमा से बाधित नहीं है। (102 जी से एच).

3. गलत रिफंड के मामले में अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस "वास्तविक" रिफंड की तारीख से छह माह के भीतर देना होगा। यदि वास्तव में कोई रिफंड नहीं किया गया है तो परिसीमा उत्पन्न होने के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गलत रिफंड के मामले में धारा 28 के तहत " "

आदेश वास्तविक रिफंड नहीं है। यह माना गया कि मौजूदा मामले में 02 मई 1981 के अपीलीय कस्टम के आदेश के तहत अपीलकर्ता को कोई रिफंड नहीं किया गया है, इसलिए भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाए कि धारा 131 की उपधारा (3) के प्रावधान उपधारा (5) द्वारा शासित होते हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्धारित परिसीमा धारा 131(3) के तहत सरकार की कार्यवाही के लिए लागू होती है, इसलिए यह कारण बताओ नोटिस परिसीमा द्वारा बाधित नहीं है। (103 सी-डी).

4. धारा 131 की उपधारा (3) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए मूल निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों को संशोधित या निरस्त करने की अधिकारिता नहीं देता है। दूसरी ओर धारा 131 की उपधारा (5) के प्रावधान मूल निर्धारण प्राधिकारी के कार्यों के खिलाफ कार्यवाही पर विचार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप

या तो शुल्क लगाया नहीं गया या कम उद्धृत किया गया। वह उपधारा रिफंड के मामलों को भी कवर करती है। जब माल को शुरू में अनन्तिम मूल्यांकन के तहत मंजूरी दे दी जाती है और अंतिम मूल्यांकन से पता चलता है कि निर्धारित पहले से अधिक लगाए गए शुल्क की वापसी का हकदार है, लेकिन सभी मामलों में चाहे गैर लेवी के हों चाहे लघु लेवी या रिफंड के हों, जो उपधारा(5) में विचार किए गए हैं। मूल मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा की गई चूक व कमीशन के कृत्यों से उत्पन्न होने वाले मामले हैं और यह तब होता है जब ऐसे आदेश पारित होते हैं। मूल मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा जिसे निरस्त या संशोधन करने की मांग की गई है। ऐसे में धारा 28 में विहित परिसीमा का प्रावधान लागू होता है। (103 जी-एच, 104 ए-बी).

5. इस प्रकार धारा 131 की उपधारा (3) व उपधारा (5) द्वारा विचार की गई परिस्थितियां विशेष हैं, जिनमें उपधारा (3) अपीलीय या पुनरीक्षण आदेशों को निरस्त करने या संशोधन करने का प्रावधान करती है। उपधारा (5) मूल निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का प्रावधान करती है।

6. इसलिए यह परिसीमा तभी लागू होती है, जब सरकार उपधारा (5) के तहत मूल निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों को निरस्त या संशोधन करना चाहती है, न कि तब जब सरकार उपधारा (3) के तहत अपीलीय या पुनरीक्षण के आदेशों को निरस्त या संशोधन करने की कार्यवाही करती है।

7. उपरोक्त व्याख्या धारा 131 की उपधारा (1) और (4) के अनुरूप भी है। (104 डी).

8. इसलिए यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि धारा 28 द्वारा निर्धारित सीमा तब लागू होती है, जब धारा 131 की उपधारा (5) के तहत सरकार धारा 128 और 130 के तहत पारित आदेशों के अलावा अन्य आदेशों को निरस्त या संशोधन करना चाहती है। धारा 128 व 130 के तहत पारित किए गए आदेशों को निरस्त करने या संशोधित करने के लिए उपधारा (3) के तहत की गई कार्यवाही पर लागू नहीं होता।

9. चूंकि हस्तगत मामले में कारण बताओ नोटिस धारा 128 के तहत सीमा शुल्क के अपीलीय कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को निरस्त या संशोधन करने के लिए जारी किया गया है, इसलिए यह परिसीमा से बाधित नहीं है।

(प्रति एम.एम. पुंछी, जे-असहमति)

1(ए) धारा 28 में कस्टम ड्यूटी के संबंध में तीन प्रकार की त्रुटियों की परिकल्पना की गई है, एक है गैर-लेवी, इसका तात्पर्य है कि वस्तुओं को शुल्क के लिए वर्गीकृत (Classified) नहीं किया गया था, जबकि उन्हें किया जा सकता था। दूसरा है लघु-लेवी इसमें ऐसे मामले को शामिल किया जा सकता है, जिसमें माल को एक प्रविष्टि में वर्गीकृत किया जा सकता था, लेकिन गलती से दूसरी प्रविष्टि के तहत वर्गीकृत कर दिया

गया, जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क की कम वसूली हुई, या ऐसा ही कुछ हुआ। तीसरा मामला गलत रिफंड का है। यह श्रेणी निर्धारण (मूल्यांकन) की प्रक्रिया में तभी उभरकर आती है, जहां दो प्रकार की त्रुटियां जैसे गैर-लेवी या लघु-लेवी और गलत रिफंड का कारण बन सकती हैं, होती हैं।

(बी) धारा 28 से यह स्पष्ट है कि शुल्क उद्धृत नहीं किए जाने के मामले में या कम शुल्क उद्धृत किए जाने वाले मामले में "सुसंगत तिथि वह तिथि है, जिस पर संबंधित अधिकारी शुल्क के भुगतान का अंतिम रूप से निर्धारण करने पर माल की निकासी का कुछ आदेश देता है। (109 ई)।

जीप फ्लेशलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनीयन ऑफ इंडिया व अन्य (1977) 1 एस.सी.आर. 983 संदर्भित.

2. चूंकि लेवी मूल्यांकन से जुड़ी है, इसलिए रिफंड का मामला उत्पन्न हो सकता है, जो त्रुटिपूर्ण हो सकता है। (109 ए)।

इस मामले में न्यायाधिकरण का विचार ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 131 की उपधारा (3), यदि लागू होती है तो धारा 131 की उपधारा (5) को गृहण कर लेती है, उसका विचार है कि जब केंद्र सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव में धारा 128 या धारा 130 के तहत पारित किसी भी आदेश को निरस्त या संशोधित करने का प्रस्ताव करती है तो यह धारा 128 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से बाधित नहीं है। भले ही यह राय हो कि सीमा

शुल्क या तो उदगृहित नहीं किया गया या कम उदगृहित किया गया। यह दृष्टिकोण पूरी तरह गलत प्रतीत होता है। (108 ई).

3. उपधारा (3) की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे कि यह उपधारा (5) को अधिकार प्रदान करता है। दोनों उपधाराओं को एकदूसरे के विरुद्ध मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संशोधन के लिए केंद्र सरकार को विधायिका द्वारा प्रदत्त यह एकमात्र शक्ति है। (108 ई.जे.).

4. इसलिए इन उपखण्डों को पढ़ने का सुसंगततापूर्ण तरीका यह होगा कि केंद्र सरकार को अपने स्वयं के प्रस्ताव पर धारा 128 या 130 के तहत पारित किसी भी आदेश को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन यदि यह एक ऐसा आदेश है जिसके तहत सीमा शुल्क या तो कम उदगृहित किया गया या उदगृहित नहीं किया गया, तो केंद्र सरकार प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति को इसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस देकर शुल्क लगा सकती है या बढ़ा सकती है, जिसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा धारा 28 में विहित किए अनुसार आदेश पारित किए जाने की तारीख से छह माह के भीतर है। (100 एफ-जी).

5. केवल इसलिए कि केंद्र सरकार के पास अपीलीय कलेक्टर द्वारा पारित रिफंड के आदेशों को स्वतः संशोधित करने की शक्ति थी, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास उस स्तर पर अल्प शुल्क के आदेशों को संशोधित करने की शक्ति थी। (110 डी).



6. मौजूदा मामले में शुल्क लगाए जाने के आदेश के दो पहलू थे। अपीलकर्ता के दृष्टिकोण से शुल्क अत्यधिक लगाया गया था, जिससे उसे चुनौती देने और रिफंड की मांग करने की आवश्यकता हुई। दूसरी ओर राजस्व के दृष्टिकोण से शुल्क कम लगाया गया था। यदि इन दोनों पहलुओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जावे तो यह केंद्र सरकार पर निर्भर था कि वह धारा 131 की उपधारा (5) के साथ पठित उपधारा (3) के तहत 06-08-1979 से छह माह के भीतर अधिकार का प्रयोग करे। वह तारीख जब शुल्क कम लगाया गया था और निर्विवाद रूप से केंद्र सरकार ने ऐसा कदम समय पर नहीं उठाया, भले ही ऐसा करने का कोई कारण था। हालांकि अपीलार्थी ने दूसरे शीर्षक के तहत आश्रय लेते हुए अतिरिक्त शुल्क वापसी के लिए क्लेम किया और 12-10-1979 को सहायक कलेक्टर द्वारा इससे इनकार करने पर इसे 02-05-1981 को अपीलीय कलेक्टर द्वारा स्वीकार कर धन रिफंड का आदेश दिया। इसके बाद इस कारण से केंद्र सरकार को अपीलीय कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने या संशोधित करने या उस आदेश के तहत वास्तविक धन रिफंड करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 131(3) के तहत स्वतः कार्यवाही करने का एक कारण मिल गया, ताकि अपीलीय कलेक्टर के आदेश को निरस्त या संशोधित किया जा सके या उस आदेश के तहत वास्तविक धन रिफंड किया जा सके। यह गलत रिफंड का मामला होने के कारण धारा 131 की उपधारा (3) का प्रावधान आकृष्ट हुआ, न कि धारा 131 की उपधारा (5)

का, क्योंकि उस समय यह गैर लेवी या कम लेवी का मामला नहीं था। त्रुटियों की दो श्रेणियों को गलत रिफंड की त्रुटि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि त्रुटियों की इन तीन श्रेणियों को वस्तुओं की योजना में अलग-अलग माना जाता है। (109 एच, 100 ए-बी).

7. इस मामले में अधिकरण द्वारा की गई त्रुटि इतनी स्पष्ट है कि इसे एक सहनीय त्रुटि के रूप में बिना सुधारे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः अपील स्वीकार की जानी चाहिए। अपील में पारित न्यायाधिकरण के आदेशों को संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि मूल मूल्यांकन के आदेश दिनांक 06-08-1979 और सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 12-10-1979 को सीमा शुल्क के अपीलीय कलेक्टर के दिनांक 02-05-1981 के आदेशों को बरकरार रखते हुए पूर्व रूप में लाया जा सके। (110 जी से एच).

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या-5014/1984.

सीमा, आबकारी और स्वर्ण नियंत्रण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली अपील नंबर 1604/1981-सी आदेश क्रमांक-674/1984-सी के निर्णय व आदेश दिनांक 03-09-1984 से।

टेक्सटाईल पेपर ट्यूब बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम (सावंत, जे).

अपीलार्थी की ओर से ए. सुब्बाराव.

प्रत्यर्थी की ओर से सोली जे. शोराबजी, अटाँनी जनरल, सुश्री इन्दु मल्हौत्रा एवं पी. परमेश्वरन.

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गया-

सावंत, जे. -अपीलार्थी ने बिल ऑफ एन्ट्री दिनांक 06-08-1979 को यूनाईटेड किंगडम से 31,101/-रूपए मूल्य के टॉपलाइन ट्यूबविंडर एन्डलेस बेल्ट का आयात किया। सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम 1975 के आर्टम 16ए के तहत सामान पर 40 प्रतिशत प्लस काउंटर वेलिंग शुल्क 25 प्रतिशत की दर से शीर्ष 40.05 (3) के तहत शुल्क का निर्धारण किया गया था। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने एक आवेदन किया कि माल वास्तव में बिना काउंटर वेलिंग ड्यूटी (प्रतिकारी शुल्क) के हैड 59.16/17 के तहत वर्गीकृत किया जाना था। सहायक कलेक्टर ने अपने दिनांक 12-10-1979 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा सीमा शुल्क के अपीलीय कलेक्टर को कस्टम एक्ट की धारा 128 के तहत अपील की गई। दिनांक 02-05-1981 को अपीलीय कलेक्टर ने अपील स्वीकार करते हुए यह अभिमत दिया कि माल को 59.16/17 हैड के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

2. दिनांक 21-11-1981 को सरकार ने अधिनियम की धारा 131(3) के तहत अपीलकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि क्यों माल को हैड 39.07 के तहत जिस पर मूल्यानुसार

100 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है, के तहत वर्गीकृत नहीं किया जावे व यह भी कारण दर्शाए कि अपीलीय कलेक्टर द्वारा पारित 02-05-1981 के आदेश को निरस्त क्यों नहीं किया जाए। इस कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध अपीलकर्ता ने CEGAT में अपील दायर की। परिसीमा के संबंध में यह तर्क रखा गया कि कारण बताओ नोटिस अधिनियम की धारा 28 सपठित धारा 131(5) के द्वारा परिसीमा अवधि से वर्जित था, जो अल्प उद्धरण की तारीख से छह महीने और किसी भी मामले में अपीलीय आदेश की तारीख से छह महीने का था। अधिकरण ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि नोटिस समय पर था और यह भी कि शीर्ष 39.07 के तहत प्रस्तावित मूल्यांकन उचित था। न्यायाधिकरण के 03-09-1984 के फैसले के विरुद्ध वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी जाती है।

3. हमारे सामने एकमात्र विवाद यह है कि कारण दर्शाओ नोटिस को परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया था, इसलिए सरकार के पास अधिनियम की धारा 131(3) के तहत अपीलीय कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि धारा 131 की उपधारा (3) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने की सीमा उपधारा (5) में निर्धारित की गई है। वहां से जिन मामलों में केंद्र सरकार उपधारा (3) के तहत कार्यवाही शुरू करेगी, वे केवल शुल्क के अभाव के या अल्प शुल्क या धन रिफंड के मामले हो सकते हैं। उक्त मामलों में से किसी में भी धारा 28 की उपधारा (3) के साथ उपधारा (1) के तहत निर्धारित परिसीमा छह

महिने की है। वर्तमान मामले में शुल्क का उद्ग्रहण 06-08-1979 को हुआ था और अपीलीय कलेक्टर का आदेश 02-05-1981 का था, जबकि कारण दर्शाओ नोटिस 21-11-1981 को जारी किया गया था। किसी भी मामले में नोटिस छह महिने से बाद का था और इस कारण से परिसीमा अवधि से वर्जित था।

4. हमारे अनुसार यह विवाद जीप फ्लेशलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य (1977) 1 एस.सी.आर. 983 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसमें यह माना गया कि धारा 131(5) के प्रावधान और इसलिए अधिनियम की धारा 28 में निर्धारित परिसीमा धारा 131(3) के तहत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं-

“एक बार धारा 131(3) में निहित प्रावधान लागू हो जाते हैं तो केंद्र सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव पर धारा 128 या धारा 130 के तहत पारित किसी आदेश को निरस्त या संशोधित कर सकती है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को आदेश को निरस्त या संशोधित करने की अधिकारिता देता है। इस अधिकारिता का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान से किया जाता है। यद्यपि इस अधिकारिता का प्रयोग संबंधित व्यक्ति को नोटिस देने पर किया जाता है।

अधिनियम की धारा 131(5) के प्रावधान केवल गैर लेवी या लघु लेवी के संबंध में परिसीमा विहित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि धारा 131(5) शुल्क के गलत रिफंड के किसी भी आदेश को निरस्त या संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव में संशोधन के संबंध में कोई परिसीमा विहित नहीं करती है। गैर लेवी या लघु लेवी के संबंध में धारा 131(5) में निहित प्रावधानों को गलत रिफंड किए जाने के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि लेवी में त्रुटियों की तीन श्रेणियों को अलग से निपटाया जाता है।

5. इसके अतिरिक्त चाहे यह अभिमत दिया हो कि धारा 131(3) की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर धारा 28 लागू होती है, क्योंकि अपीलीय आदेश में केवल अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए उसे रिफंड का हकदार घोषित किया गया, लेकिन अभी तक कोई रिफंड नहीं किया गया, धारा 131(3) के तहत सरकारी की कार्यवाही स्पष्ट रूप से परिसीमा से बाधित नहीं है। अधिनियम की धारा 28 में यह विहित किया गया है कि जब किसी शुल्क को गलती से रिफंड कर दिया गया है तो उचित अधिकारी संबंधित तिथि से छह माह के भीतर शुल्क के प्रभारी व्यक्तियों को नोटिस दे सकता है, जिनके लिए रिफंड गलत रूप से कर दिया गया है, जिससे उन्हें यह कारण दर्शाना होगा कि उन्हें नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान

क्यों नहीं करना चाहिए। धारा 28 की उपधारा (3), उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तिथि" को परिभाषित करती है। उपधारा (3) के खण्ड सी में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां गलती से शुल्क रिफंड कर दिया गया है, वहां "सुसंगत तिथि" का अर्थ रिफंड करने की तारीख है। जीप फ्लेशलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में इस पहलू पर विचार कर बताया गया है कि अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस "वास्तविक" रिफंड की तारीख से छह माह के भीतर दिया जाना चाहिए। यदि वास्तव में रिफंड नहीं किया गया है तो परिसीमा उत्पन्न होने की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि गलत रिफंड के मामले में धारा 28 के तहत "सुसंगत तारीख" रिफंड की तारीख के बारे में बताती है। रिफंड दिए जाने का आदेश वास्तविक रिफंड नहीं है। हस्तगत प्रकरण में 02-05-1981 के सीमा शुल्क के आदेश के तहत अपीलार्थी को कोई रिफंड नहीं किया गया है, इसलिए भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाए कि धारा 131 की उपधारा (3) के प्रावधान उपधारा (5) द्वारा शासित है और इसलिए अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्धारित परिसीमा धारा 131(3) के तहत सरकार की कार्यवाही पर लागू होती है। वर्तमान कारण दर्शाओ नोटिस परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

6. इसके अन्यथा हमारा यह भी विचार है कि धारा 131 की उपधारा (3) के तहत जिन आदेशों पर विचार किया गया है, वे केवल धारा 128 या धारा 130 के तहत पारित आदेश में अर्थात् अपीलीय कलेक्टर द्वारा अपील में पारित आदेश या बोर्ड द्वारा रिवीजन में पारित आदेश में। उपधारा (3)

किसी अन्य आदेश के बारे में विहित नहीं करती है। यह इस उपधारा की भाषा से स्पष्ट है कि जो इस प्रकार है-

“(3) केन्द्र सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव पर धारा 128 या 130 के तहत पारित किसी आदेश को निरस्त या संशोधित कर सकती है।

इसलिए यह उक्त उपधारा के प्रावधान से स्पष्ट है कि यह प्रावधान केन्द्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर मूल निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त या संशोधन करने की अधिकारिता प्रदत्त नहीं करती है। दूसरी ओर धारा 131 की उपधारा (5) के प्रावधान मूल निर्धारण प्राधिकारी की कार्यवाहियों के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप माल पर शुल्क नहीं लगाया गया है या कम शुल्क लगाया गया। इस उपधारा में रिफंड के मामले भी शामिल हैं। जब एक अस्थाई मूल्यांकन के तहत माल को मंजूरी दी जाती है एवं अंतिम मूल्यांकन से पता चलता है कि निर्धारित पहले से अधिक शुल्क लगाए गए शुल्क के रिफंड का हकदार है, लेकिन उपधारा (5) में जिन मामलों पर विचार किया गया है, वे चाहे गैर लेवी, लघु लेवी या धन वापसी के मामले हों, वे सभी मामले मूल निर्धारण प्राधिकारी आयोग की चूक और कार्यों से उत्पन्न होने वाले मामले हैं और यह तब होता है, जब मूल निर्धारण प्राधिकारी द्वारा



पारित ऐसे आदेशों जिन्हें निरस्त करने या संशोधित करने की मांग की जाती है, धारा 28 में विहित परिसीमा का प्रावधान लागू होता है।

इस प्रकार उपधारा (3) और उपधारा (5) द्वारा विचार की गई स्थितियां परस्पर अनन्य हैं। उपधारा (3) अपीलीय या पुनरीक्षण आदेशों को निरस्त या संशोधन करना विहित करती है। उपधारा (5) मूल निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के बारे में विहित करती है, इसलिए यह परिसीमा तब लागू होती है, जब सरकार उपधारा (5) के तहत मूल निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को निरस्त या संशोधन करना चाहती है, न कि तब जब सरकार उपधारा (3) के तहत अपीलीय या पुनरीक्षण आदेशों को निरस्त या संशोधन करने की कार्यवाही करती है।

7. यह व्याख्या धारा 131 की उपधारा (1) व (4) के प्रावधानों के अनुरूप भी है। उपधारा (1) केवल धारा 128 व 130 के तहत पारित अपीलीय और पुनरीक्षण के आदेशों के बारे में प्रावधान करती है और किसी अन्य आदेश के बारे में नहीं। इसी प्रकार से उपधारा (4) के खण्ड ए और बी क्रमशः धारा 128 व 130 के तहत पारित अपीलीय और पुनरीक्षण के आदेशों के बीच अन्तर करते हैं। जहां अधिक मूल्य के सामान को जब्त करने या जब्त करने के बदले में कोई जुर्माना या जुर्माना बढ़ाने वाला अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है तो यह सरकार को जुर्माना या जुर्माना बढ़ाने वाला कोई भी आदेश फिर से पारित

किए जाने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि किसी अन्य मामले में इस तरह का आदेश पारित करने की अनुमति देता है, जो अवधि आदेश को निरस्त या संशोधित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर की है। इसलिए विधायिका ने धारा 131 में हमेशा 128 और 130 के तहत आदेशों और अन्य आदेशों के बीच अन्तर बनाए रखा है। इस दृष्टिकोण से भी धारा 131 की उपधारा (3) के प्रावधानों को केवल धारा 128 और 130 के तहत पारित आदेशों पर लागू होने के कारण और उपधारा (5) के प्रावधान धारा 128 और 130 के तहत पारित आदेशों के अलावा अन्य आदेशों तक सीमित है।

8. इसलिए यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि धारा 28 द्वारा निर्धारित सीमा तब लागू होती है जब धारा 131 की उपधारा (5) के तहत सरकार धारा 128 व 130 में पारित किये गए आदेशों से अन्यथा आदेश को निरस्त करना या संशोधित करना चाहती है। यह धारा 128 और 130 के तहत पारित आदेशों को निरस्त या संशोधित करने के लिए उपधारा (3) के तहत की गई कार्यवाही पर लागू नहीं है। चूंकि वर्तमान मामले में धारा 128 के तहत अपीलिय सीमा शुल्क द्वारा पारित आदेश को निरस्त/संशोधित करने के लिए आक्षेपित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, यह अभी निर्धारित करना होगा कि यह परिसीमा से बाधित नहीं है।

9. इस मामले में इस दृष्टिकोण में अपील असफल हो जाती है और खारीज कर दी जाती है।

पुंछी.जे. क्या केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 131 के तहत स्वतः संशोधन शक्तियों का प्रयोग करते समय परिसीमा का उल्लंघन किया है यह एक मिश्रित प्रश्न है जो सीमा शुल्क के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील में विचार के लिए उत्पन्न होता है। नई दिल्ली दिनांक 3 सितम्बर 1984 को अपील संख्या सी.डी. (एस.बी.) (टी) 1604/81-सी. में पारित किया गया।

अपीलकर्ता ने 31,101/- रुपये मूल्य की टॉप लाईन ट्यूब वाईन्डर अंतहीन बैल्ट का एक कंसाईनमेंट आयात किया। यह कंसाईनमेंट यूनाईटेड किंगडम से आया था और इसे 06.08.1979 तारीख के बिल ऑफ एंट्री के तहत कवर किया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के आइटम 16 (ए) (4) के तहत सामान पर 40 प्रतिशत प्लस काउंटर वेलिंग शुल्क 25 प्रतिशत की दर से शीर्ष 40.05/16 (ए) (3) के तहत शुल्क का निर्धारण किया गया था। अपीलार्थी ने तथ्यात्मक प्रकृति के आधार पर कि माल का शुल्क के लिए सही मूल्यांकन नहीं किया गया था और उन्हें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के एक अलग शीर्ष 59.16/17 के तहत मूल्यांकन किया जाना था, सहायक कलेक्टर के रिफंड क्लेम पेश किया। दिनांक 12-10-1979 को रिफंड के लिए किए गए क्लेम को सहायक कलेक्टर द्वारा

खारीज कर दिया गया था। अपील कर्ता की अपील पर सीमा शुल्क के अपीलिय कलेक्टर ने आयातित कंसाईनमेंट की प्रकृति के बारे अलग दृष्टिकोण अपनाया और परिणामी राहत के साथ अपील की अनुमति देते हुए शीर्ष 59.16/17 के तहत शुल्क का मूल्यांकन किया गया। सीमा शुल्क कलेक्टर की रिपोर्ट पर सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 21-11-1981 को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा प्रथम दृष्टया यह मानते हुए कि अपीलिय कलेक्टर ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्ष 59.16/17 के तहत माल को वर्गीकृत करने में सही नहीं किया था। साथ ही यह भी सहायक कलेक्टर द्वारा शीर्ष 40.05/16 (3) के तहत किया गया मूल वर्गीकरण भी क्रम में नहीं था। इस प्रकार यह मामला सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलिय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को भेजा गया, जहां अपीलकर्ता द्वारा माल की प्रकृति और एक के तहत वर्गीकृत किए जाने वाले इसके दायित्व के संबंध में तथ्यात्मक दलीलें पेश करने के अलावा परिसीमा की दलील दी गई थी। तथ्यों के आधार पर कन्साईनमेंट को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के शीर्ष 39.07 के तहत प्लास्टिक की वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया, न कि शीर्ष 59.16/17 के तहत। जैसाकि अपीलिय कलेक्टर द्वारा किया गया था और इस प्रकार संशोधन की अनुमति देने वाले अपीलिय कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता द्वारा समय सीमा के तर्क को भी अधिकरण द्वारा निम्न शब्दों में खारिज कर दिया गया। परिसीमा अवधि के सवाल पर हमने पाया कि अपीलीय कलेक्टर ने 04-07-1981 को आदेश जारी किया, कारण बताओ नोटिस 21-11-1981 को जारी किया गया और 24-11-1981 को पार्टी को दिया गया, इसलिए कारण बताओ नोटिस छह माह की अवधि में जारी किया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 131 (5) गैर लेवी और लघु लेवी के मामले को संदर्भित करती है। उन मामलों के लिए धारा 128 की समय सीमा लागू होगी। धारा 131 (3) केन्द्रीय सरकार के लिए प्रावधान करती है। सरकार धारा 128 या 130 के तहत पारित किसी भी आदेश को निरस्त या संशोधित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1983-ई.एल.टी.-1956 में निम्नप्रकार अभिनिर्धारित किया है कि-

“अधिनियम की धारा 131 (5) में विहित प्रावधान केवल गैर लेवी या लघु लेवी के संबंध में परिसीमा की बात करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि धारा 131 (5) केंद्र सरकार द्वारा स्वयं के किसी आदेश को निरस्त या संशोधित करने या शुल्क को गलत रिफंड करने के लिए अपने स्वयं के प्रस्ताव को पुनरीक्षण के बारे में परिसीमा विहित नहीं करती है। गैर लेवी या लघु लेवी के संबंध में धारा 131 (5) में विहित प्रावधानों को गलत रिफंड के बराबर नहीं किया

जा सकता, क्योंकि इसमें त्रुटियों की तीन श्रेणियों से अलग से निपटा जाता है।

वह रिफंड का मामला था। 1984- (16)-ई.एल.टी. 332 (कलेक्टर ऑफ कस्टम, बॉम्बे बनाम नवभारत एंटरप्राइजेज बनाम नई दिल्ली) में यह माना गया कि सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 131 (3) केन्द्र सरकार को किसी भी आदेश को निरस्त करने या संशोधित करने का अधिकार प्रदान करती है। उस अधिनियम के तहत पारित कोई आदेश और धारा 131 (5) में प्रदान की गई समय सीमा 131 (3) के तहत जारी नोटिस पर लागू नहीं होती। धारा 36 (2) के तीसरे परन्तुक के तहत "सुसंगत तिथि" की गणना अपीलिय आदेश पारित होने की तिथि से की जाएगी, न कि मूल निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की तिथि से, इसलिए कारण बताओ नोटिस परिसीमा में है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपील को परिसीमा के प्रश्न तक ही सीमित रखा है। यह तथ्य कि कन्साईनमेन्ट सीमा शुल्क अधिनियम 1979 की धारा 30.07 के तहत वर्गीकृत थी, इन परिस्थितियों में निर्विवादित है।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 131 इस प्रकार है-

131- केंद्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण- (1) केंद्र सरकार किसी भी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर

(ए)- धारा 128 के तहत पारित कोई भी आदेश या

(बी)- किसी पीडित व्यक्ति के आवेदन पर पारित आदेश से अन्यथा धारा 130 के तहत पारित आदेश,

(सी)- धारा 130 के तहत किसी पीडित व्यक्ति आवेदन पर पारित कोई आदेश, जहां आदेश उस धारा के उपधारा (1) के प्रावधानों में से किसी एक में संदर्भित प्रकृति का है।

2. उपधारा (1) के तहत एक आवेदन आवेदक को उस आदेश के बारे में उसे सूचित किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाएगा, जिसके खिलाफ आवेदन किया जा रहा है।

बशर्ते कि केंद्र सरकार यदि संतुष्ट हो कि आवेदक को छह महीने के पूर्व अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे छह महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

3. केंद्र सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव से धारा 128 या 130 के तहत पारित किसी भी आदेश को निरस्त या संशोधित कर सकती है।

4. इस धारा के तहत अधिक मूल्य के माल को जब्त करने के बदले कोई जुर्माना या जुर्माना बढ़ाने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा-

(ए)- किसी भी मामले में जहां धारा 128 या धारा 130 में जब्ती के बदले में कोई जुर्माना बढ़ा दिया है या अधिक मूल्य के सामान को जब्त कर लिया है और

(बी)- किसी भी अन्य मामले में जब प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति को इसके खिलाफ कारण बताने के लिए नोटिस नहीं दिया गया हो, आदेश की तारीख से एक साल के भीतर निरस्त या संशोधित करने की मांग की गई है।

5. जहां केंद्र सरकार की राय है कि सीमा शुल्क का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम शुल्क लगाया गया है, तो इस धारा के तहत शुल्क लगाने या बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति को उसके खिलाफ कारण बताने के लिए धारा 28 में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नोटिस नहीं दिया जाता है।



अधिकरण का मानना है कि धारा 131 की उपधारा (3) यदि नियोजित है तो धारा 131 की उपधारा (5) को गृहण कर लेती है। दूसरे शब्दों में अधिकरण का ऐसा मानना है कि जब केंद्र सरकार अपने स्वयं का प्रस्ताव धारा 128 या 130 के तहत पारित किसी भी आदेश को निरस्त करने या संशोधित करने का प्रस्ताव करता है, तब यह धारा 28 में निर्दिष्ट समय सीमा से बंधा नहीं है, भले ही यह इस राय पर विचार करता है कि सीमा शुल्क का कोई भी शुल्क या तो उद्धृत नहीं किया गया है या कम उद्धृत किया गया है तो केंद्र सरकार प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति को इसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस देकर शुल्क लगा सकती है या बढ़ा सकती है, जिसकी परिसीमा धारा 28 में विहितानुसार आदेश की तारीख से छह माह की है। धारा 28 में कस्टम शुल्क के संबंध में तीन प्रकार की त्रुटियों की परिकल्पना की गई है। एक है गैर लेवी, इसका मतलब है कि माल को वर्गीकृत नहीं किया गया था, जबकि वे किए जा सकते थे। दूसरा है लघु लेवी, इसमें माल को एक प्रविष्टि में वर्गीकृत किया जा सकता था, लेकिन गलती से अन्य प्रविष्टि के तहत वर्गीकृत कर दिया गया। तीसरा है गलती से रिफंड का मामला। यह श्रेणियां मूल्यांकन किए जाने पर ही उत्पन्न होती है। जहां दो तरह की त्रुटियां हैं, यानि गैर लेवी या लघु लेवी और गलत रिफंड का कारण बन जाता है, क्योंकि लेवी मूल्यांकन से जुड़ा है, यह एक मामला है। रिफंड के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो गलत हो सकती है।

जीप फ्लेशलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1977) 1, एस.सी.आर.-983 में इस न्यायालय को गलत रिफंड के मामले से निपटने का अवसर मिला और अधिनियम की धारा 28 के दायरे की जांच करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया-

“अधिनियम की धारा 28 में निहित प्रावधान गैर लेवी, लघु लेवी ओर गलत रिफंड की बात करते हैं। प्रावधानों में यह विहित किया गया है कि गैर लेवी, लघु लेवी या गलत रिफंड का नोटिस संबंधित तिथि से छह माह के भीतर दिया जाना चाहिए। धारा 28 (3) “सुसंगत तिथि” का अर्थ बताती है। शुल्क नहीं लगाए जाने की स्थिति में “सुसंगत तिथि वह तारीख है, जिस दिन उचित अधिकारी माल की निकासी के लिए उचित आदेश देता है। ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की धारा 18 के तहत शुल्क का अनन्तिम रूप से मूल्यांकन किया जाता है। “सुसंगत तिथि अंतिम मूल्यांकन के बाद शुल्क के समायोजन की तारीख है। ऐसे मामले में जहां शुल्क गलती से वापस कर दिया गया है, “सुसंगत तारीख” रिफंड की तारीख है। किसी भी अन्य मामले में “सुसंगत तारीख” शुल्क के भुगतान की तारीख है।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि शुल्क नहीं लगाए जाने या कम लगाए जाने के मामलों में "सुसंगत तारीख" वह तारीख है, जिस दिन संबंधित अधिकारी बिना शुल्क के भुगतान पर माल की निकासी के लिए कुछ आदेश देता है या अंतिम मूल्यांकन तैयार करने पर शुल्क के समायोजन की तारीख, जैसा भी मामला हो।

अब इस मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि माल को दिनांक 06-08-1979 को माना कि शीर्ष-ए के तहत वर्गीकृत व मूल्यांकित किया गया था। अपीलार्थी ने रिफंड का क्लेम पेश किया, सहायक कलेक्टर ने जिस 12-10-1979 को निरस्त कर दिया। सहायक कलेक्टर द्वारा 'ए' हैड में शुल्क अधिरोपित किया, जबकि इसे किसी अन्य शीर्ष मान लीजिए "बी" के तहत लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार ये लघु लेवी का मामला है। अतः इस पर हैड एसे कम ड्यूटी लगनी चाहिए। जहां इसे हैड "सी" में शुल्क अभिगृहित की जाती है तो शुल्क अधिक बनता है। इस लेवी शुल्क लगाए जाने के दो पक्ष हैं। अपीलार्थी के हिसाब से शुल्क ज्यादा लगाया गया है, जिसके लिए उसके द्वारा रिफंड लिया जाना आवश्यक हो गया है। जबकि राजस्व के अनुसार शुल्क कम लगाया गया। इसे उचित हैड में लगाए जाने पर यह ज्यादा बनती है। यदि इन दोनों पक्षों को सही तरीके से समझा जावे तो केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 06-08-1979 से छह माह के भीतर अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (5) सपठित धारा (3) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए था।

ऐसा किए जाने का कारण भी था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कदम समय पर नहीं उठाया। हालांकि अपीलकर्ता ने किसी अन्य शीर्ष के तहत लगाए गए अतिरिक्त शुल्क की रिफंड के लिए क्लेम किया था और सहायक कलेक्टर द्वारा 12-10-1979 को इनकार करने पर अपीलीय कलेक्टर ने 02-05-1981 को अपील स्वीकार कर ली, जिन्होंने धन रिफंड करने का आदेश दिया। तब केंद्रीय सरकार को जीप फ्लेशलाईट मामले के अनुसार, अपीलीय कलेक्टर के आदेश को निरस्त या संशोधित करने या उस आदेश के तहत वास्तविक रिफंड के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 131 (3) के तहत स्वतः कार्यवाही करने का कारण मिला। यह गलत रिफंड मामला होने के कारण धारा 131 की उपधारा (3) आकृष्ट हुई थी न कि धारा 131 की उपधारा (5) क्योंकि उस समय यह गैर लेवी या लघु लेवी का मामला नहीं था और त्रुटियों की दो श्रेणियों को गलत रिफंड के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि त्रुटियों की तीन श्रेणियों को वस्तुओं की योजना में अलग-अलग माना जाता है। केवल इसलिए कि केंद्र सरकार के पास अपीलीय कलेक्टर द्वारा पारित रिफंड के आदेशों को स्वतः संशोधित करने की शक्ति थी, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास उस स्तर पर लघु लेवी के आदेशों को संशोधित करने की शक्ति थी। अंतिम विश्लेषण यह है कि यदि सहायक कलेक्टर के आदेश में माल को राजस्व के दावे के अनुसार "सी" के बजाय "ए" में वर्गीकृत करने और आयातक द्वारा दावा किए गए "बी" में वर्गीकृत नहीं करने में लघु लेवी की त्रुटि हुई तो अनुदान पर अपीलीय

कलेक्टर द्वारा राहत के लिए उन्हें शीर्ष "बी" के तहत वर्गीकृत करते हुए केंद्र सरकार को शीर्ष "बी" के तहत लाए गए वर्गीकरण को निरस्त करने या संशोधित करने का अवसर दिया जा सकता है और इसे शीर्ष "ए" में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 131 की उपधारा (5) के तहत अपेक्षित धारा 28 के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर अभ्यास नहीं किया जाएगा, तब तक शीर्ष "सी" के तहत पुनः वर्गीकृत किया गया। अधिकरण द्वारा की गई त्रुटि के लिए उपरोक्तानुसार व्यक्त किया गया मत स्पष्ट है कि इसे एक सहनीय त्रुटि के रूप में अप्रमाणित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनिवार्य रूप से यह अपील होनी ही है और उसके द्वारा अनुमति दी जाती है। अपील संख्या सी.डी. (एस.बी.) (टी) 1604/81 सी में पारित अधिकरण के आदेशों को संशोधित करना ताकि मूल मूल्यांकन "सी" के आदेश को पुनर्जीवित किया जा सके। दिनांक 06-08-1979 और सहायक कलेक्टर का आदेश मद्रास दिनांक 12-10-1979 के आदेशों को निरस्त करते हुए 02-05-1981 को अपीलीय कलेक्टर ऑफ कस्टम मद्रास का आदेश अपील नंबर- सी/3/212/80 में पारित हुआ।

अपीलकर्ता को अपना खर्चा वहन करना होगा।

बहुमत के निर्णय के अनुसार अपील सव्यय खारिज की जाती है।

एच.एन.वी.के.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अम्बिका सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।